(76)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ...../2006 पुनरीक्षण

R 833/II/06

जूजा पुत्र खुमान चमार आयु 55 वर्ष व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी निवासी ग्राम बामौर कला तहसील खनिया धाना जिला शिवपुरी (म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री रतन चन्द्र जैन निवासी ग्राम बामौर कला तहसील ग्राम बामौर कला तहसील खनिया धाना जिला शिवपुरी (म0प्र0)

.....अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.रा. संहिता

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका योग्य अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा अपील क्रमांक 265ह/91–92 में पारित आदेश दिनांक 23.01.06 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। जिसके द्वारा योग्य अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के द्वारा अपील क्रमांक 61/90–91 में पारित आदेश दिनांक 31.03.1992 की सम्पुष्टि करके हुए अपील को खारिज कर दिया गया है।

माननीय राजस्व मण्डल,

आवेदक/ कब्जाधारी की ओर से विधिक आधारों पर पुनरीक्षण अधोलिखित प्रस्तुत है:–

1. यहकि, मामले के महत्वपूर्ण संघ रूचिकर तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम बामौर कला का निवासी है। इसी ग्राम बामौर कला में भूमि सर्वे 180एवं 181 स्थित है। जिसके नवीन सर्वे कमांक 1229 रकवा 0.72 तथा नवीन सर्वे कमांक 1230रकवा

क्रमशः.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 833–दो/2006 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुवंर सिंह कुशवाह उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्र0 265ह/अपील/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 31.03.1992 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक के अधिवक्ता ने निगरानी मेमों में दर्शाये गये बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा निरंतर अभिलेख से एवं पटवारी रिपोर्ट से प्रमाणित है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर गंभीरता से विचार किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे	

सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है । अतएव निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है ।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह तथ्य प्रमाणित है कि आवेदक की ओर से उसके अभिभाषक निरंतर उपस्थित होते रहे हैं और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी मिला है । उभयपक्ष अभिभाषक के तर्क सुने जाकर ही आलोच्य आदेश प्रारित किया गया है । अतएव आवेदक का यह तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय में उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है । अभिलेख से यह तथ्य प्रकट होता है कि आवेदक के द्वारा कब्जा के संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें पृथक–पृथम भिन्नता दर्शाई गई है । आवेदन में कुछ अवधि बताई गई है, कथनों में कुछ और बताई गई है । इस प्रकार कब्जा के बारे में कोई ठोस तथ्य आधार सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध सभी साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करके ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो अपने स्थान पर उचित है । प्रकरण में आवेदक के अपने पक्ष समर्थन में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्षों का खंडण हो सके ।

6/ अतएव प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य